

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)



अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नावां जिला डीडवाना-कुचामन राजस्थान

सन्तोष पत्नि मदनलाल चौधरी जाति जाट वगै. बनाम
सा. इन्दोखा तह. नावां

बजरंगसिंह पुत्र कल्याणसिंह जाति राजपूत वगै.
सा. इन्दोखा तह. नावां

किस्म मुकदमा : 53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर 151 / 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुआ
08.04.2024	<p>वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सेवर ने यह वाद पत्र पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया जाता हैं। प्रतिवादीगण को जरिये पंजीकृत डाक सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनांक 13.05.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  (विश्वामित्र मीना) उपखण्ड अधिकारी, नावां </p> <p>15/4/24 पत्रावली वादीगण की ओर से वाद पत्र प्रस्तुत करने पर आज पेक्षा हुई वादीगण ने वादपत्र पत्रावली तलब कर अर्लिये विज्ञान ज्वालिय फ्लाने पेक्षा कर निवेदन किया कि पत्रकारान के मध्य राजीनामा हो गया है इसलिये अर्लिये विज्ञान ज्वालिय किया जावे।</p> <p>शतः वादीगण का वाद पत्र वादीगण के निवेदन पर अर्लिये विज्ञान ज्वालिय किया जाता है। पत्रावली के सम शुभार होकर नम्बर से कम हो व दायित्व दफ्त हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन) </p>	

